रजिस्टर्ड नं० एल० १८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 31 मार्च, 1973

चैत्र 10, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 895/सत्रह—वि०-1—163-1972

लखनऊ, 31 मार्च, 1973

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973, पर दिनांक 28 मार्च, 1973 ई० को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1973)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 का अग्रेतर संशोधन करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

ऐक्ट संख्या 16, 1927 में नयी धारा 22-ए का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और 23 नवम्बर, 1960 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"22-ए—(1) धारा 22 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, या तो स्वयं अथवा तदर्थ याचिका दी जाने पर, धारा 18 के अधीन निर्णीत किसी अपील के अभिलेख मंगा सकती है, और ऐसी अपील पर दिये गये आदेश की पुष्टि कर सकती है, अथवा उसे रद्द कर सकती है, अथवा उसमें परिष्कार कर सकती है, अथवा ऐसे निदेशों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकती है।

अन्य मामलों में पुनरीक्षण करने की शक्ति

(2) 22 नवम्बर, 1965 के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई भी याचिका नहीं दी जा सकती, और उक्त दिनांक के पश्चात् राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3—(1) 23 नवम्बर, 1960 और 22 नवम्बर, 1965 के बीच किसी समय राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी कोई याचिका, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपील पर दिये गये आदेश के पुनरीक्षण की मांग हो, जब तक कि वह किसी प्रबन्ध के पुनरीक्षण के लिये उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन याचिका न हो, इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी उक्त अधिनियम की धारा 22-ए के अधीन दी गयी समझी जायगी ।

(2) प्रत्येक ऐसी याचिका, चाहे वह 23 नवम्बर, 1965 को राज्य सरकार के पास विचाराधीन हो अथवा उसके द्वारा उक्त दिनांक के पूर्व निर्णीत की गई तात्पर्यित हो, राज्य सरकार द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट की जायगी, और न्यायाधिकरण राज्य सरकार के निर्णय यदि कोई हो, की उपेक्षा करने के पश्चात् और पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पुनरीक्षणाधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, या उसमें परिष्कार कर सकता है अथवा ऐसे निदेशों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से ऐसी अपेक्षा की गयी नहीं समझी जायगी कि राज्य सरकार वन अधिकारी द्वारा दी गयी कोई याचिका, जिस पर राज्य सरकार आगे कार्यवाही करना उचित न समझे, न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करे, और वन अधिकारी द्वारा दी गयी प्रत्येक याचिका, जो 23 नवम्बर, 1965 और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के बीच इस प्रकार अभिदिष्ट न की जाय, अस्वीकृत की गयी समझी जायगी, भले ही राज्य सरकार का उस पर तात्पर्यित निर्णय कुछ भी हो ।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, प्रत्येक ऐसी याचिका, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त मानी गयी शक्तियों के तात्पर्यित प्रयोग में न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किये जाने के लिये तात्पर्यित हों, इस धारा की उपधारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट की गयी समझी जायगी मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध अभिदेश के समय प्रभावी थे, तथा तद्नुसार :—

(क) जहां कि या तो न्यायाधिकरण ने स्वयं यह निर्णीत किया हो कि अभिदेश अक्षम है और तद्नुसार क्षेत्राधिकार का प्रयोग न किया हो, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 227 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां इस आधार पर रद्द कर दी गयी हों कि याचिका, जो इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये तात्पर्यित थी, ग्राह्य न थी क्योंकि वह उस अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये थी, और इस प्रकार इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन न्यायाधिकरण को अभिदेश नहीं किया जा सकता था, तब न्यायाधिकरण, अपने समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन महीने के भीतर अथवा ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जिसे न्यायाधिकरण पर्याप्त कारण दर्शित करने पर अनुज्ञात करे, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसे किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अभिदेश का निर्णय कर सकता है;

(ख) जहां कि न्यायाधिकरण ने उसे, मामले के गुणानुसार निर्णीत किया हो, वहां उसका निर्णय, मूल अधिनियम की धारा 22 के अधीन रहते हुए, वैध होगा तथा हमेशा से वैध समझा जायगा, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश उसके प्रतिकूल हो ।

स्पष्टीकरण :—पद 'न्यायाधिकरण' का तात्पर्य इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है ।

No. 895(2)/XVII-V-1—163-1972

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Forest (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1973) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 28, 1973.

THE INDIAN FOREST (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1973

[U. P. Act No. 11 of 1973]

(As passed by the Uttar Pradesh Vidhan Mandal)

AN

ACT

further to amend the Indian Forest Act, 1927 and to provide for matters connected therewith

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Indian Forest (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1973.

Insertion of a new section 22-A in Act 16 of 1927.

2. *After* section 22 of the Indian Forest Act, 1927, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from November 23, 1960, namely:—

"22-A. (1) Without prejudice to the provisions of section 22, the State Government may, either of its own motion or on a petition being made in that behalf, call for the record of any appeal decided under section 18, and may confirm the order passed on such appeal, or set it aside, or modify it, or remand the case to the Forest Settlement Officer with such directions as it may think fit:

Power of revision in other cases.

(2) No petition under this section may be made, after November 22, 1965, and the State Government may not exercise any power under this section, after the said date."

Transitory Provisions.

3. (1) Any petition presented to the State Government at any time between November 23, 1960 and November 22, 1965, seeking revision of an order passed on appeal under section 18 of the principal Act shall unless it is a petition under section 22 of that Act for revision of any arrangement, be deemed to have been made under section 22-A of that Act *inserted* by section 2 of this Act.

(2) Every such petition, whether pending on November 23, 1965, with the State Government or purporting to have been decided by it before that date, shall be referred by the State Government to the Tribunal having jurisdiction, and the Tribunal may, after ignoring the decision, if any, of the State Government and after giving to the parties an opportunity of being heard, confirm, set aside, or modify the order under revision, or remand the case to the Forest Settlement Officer with such directions as it thinks fit :

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to require the State Government to refer to the Tribunal any petition made by a Forest Officer which the State Government does not think fit to be pressed, and every petition made by a Forest Officer which is not so referred between November 23, 1965 and the expiration of three months from the commencement of this Act shall be deemed to have been rejected, irrespective of the purported decision, if any, thereon of the State Government.

(3) Every such petition purporting to have been referred by the State Government to the Tribunal before the commencement of this Act in the purported exercise of power assumed to have been conferred by sub-section (5) of section 16 of the Indian Forest (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1965, before the commencement of this Act shall be deemed to have been referred to the Tribunal under sub-section (2) of this section as if the provisions of this Act were in force at the time of the reference, and accordingly—

(*a*) where either the Tribunal has itself held the reference to be incompetent and accordingly declined to exercise jurisdiction, or the proceedings before the Tribunal have been quashed by the High Court in exercise of its jurisdiction under Article 226 or Article 227 of the Constitution, on the ground that the petition purporting to be preferred under sub-section (4) of section 18 of the Indian Forest Act, 1927 was

not maintainable as it was for a purpose other than one mentioned in section 22 of that Act, and as such no reference could be made to the Tribunal under sub-section (5) of section 16 of the Indian Forest (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1965, then the Tribunal, notwithstanding any such judgment, decree or order, shall, on an application being made to it within three months from the commencement of this Act, or such further time as the Tribunal may on sufficient cause being shown allow in that behalf, review its order and decide the reference in accordance with the provisions of sub-section (2);

(*b*) where the Tribunal has decided it on the merits of the case, the decision shall, subject to the provisions of section 22 of the principal Act, be deemed to be and always to have been valid, notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary.

Explanation—The expression "Tribunal" means a Tribunal constituted under sub-section (3) of section 16 of the Indian Forest (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1965.

आज्ञा से,

कलाश नाथ गोयल

सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 470 गजट (हिन्दी)—1973—1,982+130 (म०) ।